कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक– 1882 / सा0प्र0 / अधिसूचना / 2020–21 दिनांक 20 जून, 2020

अधिसूचना

AC(RS)

22/6/2020

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59,1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्रावधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के स्वरूप के कारण जनहित में मोटरयानों / विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटर नियामावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायो की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपयुर्क्त प्रावधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतःमोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाराणसी जनपद से होकर निकलने / चलने वाले, नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र.स.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी के अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गई गति सीमा			
			टू व्हीलर / थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली–कोलकता मार्ग (एन0एच0–0002)	टेंगरामोड से कछवां मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा
2	वाराणसी–गाजीपुर–गोरखपुर मार्ग (एन0एच0–0029)	आशापुर से चौबेपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा
3	लखलऊ–वाराणसी मार्ग (एन0एच0–0056)	गिलट बाजार से करखियांव फूलपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा
4	वाराणसी–आजमगढ मार्ग (एन0एच0–0233)	लालपुर से दानगंज मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	70 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा
5	वाराणसी–अदलपुरा–चुनार–कछवां मार्ग (एस0एच0–0074)	वाराणसी से चुनार मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

6	वाराणसी–भदोही–गोपीगंज मार्ग (एस0एच0–0087)	वाराणसी से चौरी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
7	कछवां मार्ग–कपसेठी–बाबतपुर–चौबेपुर मार्ग (एस0एच0–0098)	वाराणसी से गाजीपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
8	बाबतपुर–जमालापुर मार्ग (एस0एच0–0098ए)	वाराणसी से जौनपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
9	अकेलवा–मातलदेई–अदलपुरा मार्ग (ओडीआर–0112)	अकेलवा–मातलदेई	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
10	अकेलवा–मातलदेई–अदलपुरा–करसड़ा मार्ग (ओडीआर–0113)	अकेलवा–मातलदेई	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
11	अनेई–कुंवार–कठिरावं मार्ग (ओडीआर–0011)	अनेई–कठिरावं	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
12	अनेई–कुरू मार्ग (ओडीआर–0021)	अनेई–कुरू	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
13	बाबतपुर–कविरामपुर–बड़ागाँव मार्ग (ओडीआर–0027)	बाबतपुर–बड़ागाँव	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
14	बड़ागाँव–अनेई मार्ग (ओडीआर–0002)	बड़ागाँव–अनेई	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
15	बड़ागाँव–हथिवार–रामेश्वर मार्ग (ओडीआर–0014)	बड़ागाँव–रामेश्वर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
16	बड़ागाँव–कुंवार–रामपुर	बड़ागाँव–रामपुर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
17	बड़ागाव–नेवदा वॉया अनेई रोड (ओडीआर–0070)	बड़ागाव–अनेई रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
18	बेला पहाडिया मार्ग (ओडीआर–0120)	बेला पहाडिया मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
19	भाऊपुर कालिका धाम रोड (ओडीआर–0063)	भाऊपुर कालिका धाम रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
20	भोजूबीर सिधौंरा रोड (ओडीआर–0049)	भोजूबीर सिधोंरा रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
21	चौबेपुर बलुआ रोड (ओडीआर–0049)	चौबेपुर बलुआ रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
22	देहरी विनायक कोरौती छितौनी मार्ग (ओ0डी0आर0 0126)	देहरी विनायक छितौनी माग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

23	घरसौना सिधौरा फुलपुर मार्ग (ओ0डी0आर0 0051)	घरसौना–फुलपुर मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
24	घरसौना नियार मार्ग (ओ0डी0आर0 0046)	घरसौना नियार मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
25	गरथमा–पिंडरा मार्ग (ओ0डी0आर0 0147)	गरथमा–पिंडरा मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
26	कछवां–जमुआ राजातालाब रोड (ओ0डी0आर0 0015)	कछवां–राजातालाब रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
27	काजीसराय–बीरापटट ी मुरदहा मार्ग (ओ0डी0आर0 0119)	काजीसराय–मुरदहा मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
28	बीरावकोट साईपुर धौकलगंज महिमापुर (ओ0डी0आर0 0013)	बीरावकोट महिमापुर	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
29	मंगारी–सिधौरा रोड (ओ0डी0आर0 0100)	मंगारी–सिधौरा रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
30	रामेश्वर हरहुआ पंचकोशी रोड (ओ0डी0आर0 0078)	रामेश्वर पंचकोशी रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
31	बड़ागांव–कुवार रोड (ओ0डी0आर0 0096)	बड़ागांव–कुवार रोड	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा
32	सारनाथ–मुनारी मार्ग (ओ0डी0आर0 0118)	सारनाथ–मुनारी मार्ग	40 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	60 किमी0 प्रति घण्टा	50 किमी0 प्रति घण्टा

गति संबन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सडक के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमकें इसके लिए रेट्रो रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्ध केन्दीय मोटरयान नियामावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्निशमन वाहन

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैनय बल अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकाय की अधिकारिता को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय –समय पर यथा संशोधन द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार राय)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
वाराणसी।

पृ0स0 /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी वाराणसी।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी।
7. निर्देशक, छपाई मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्ती खण्ड/निमार्ण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी) लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
10. जिला सूचना अधिकारी, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
11. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/राष्ट्रीय सहारा/अमर उजाला/आज/जनसंदेश/जनवार्ता/काशीवार्ता, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपर्युक्त सूचना को जनहित में "वाराणसी समाचार" पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
वाराणसी।